हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़–245101. ☎ 0122–2308764–65

वेबसाइटः www.hpdaonline.com, ई–मेलः hpda_1@rediffmail.com

ISO 9001:2008

सेवा में

सामियां इण्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा0लि0
आर0एस0 बिल्डवैल
श्री श्यामकुमार, श्री मुजीवखान, श्री मेघराज, श्री ओमप्रकाश एवं श्री संजय
द्वारा–सामियां इण्टनेशनल बिल्डर्स प्रा0लि0
अधिकृत हस्ताक्षारी–श्री संजय विश्नोई
ए–35, सेक्टर–63, नोएडा,
जिला– गौतमबुद्धनगर ।

पत्र सं0 1020 /मा0अनु0/एच.पी.डी.ए./11 दिनांक 14/12/11

विषयः– मानचित्र सं0 166/06–07/ले–आउट/एचपीआर की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं0 166/06–07/ले–आउट/एचपीआर की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 14/12/2011 को निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण करनें की शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः निम्न औपचारिकताओं को एक माह के अन्दर पूर्ण करनें का कष्ट करें।

शर्तें–

1. आवेदको द्वारा कुल देय धनराशि रू0 2,92,16,890.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा। जिसका 25प्रतिशत रू0 73,04,222.00 प्रथम किश्त के रूप में जमा करना है।
2. भू–स्वामित्व के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इस सम्बन्ध में आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रस्तावित कालोनी का विद्युतीकरण कार्य आवेदक को उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं उ0प्र0 विद्युत सुरक्षा परिषद के मानको के अनुसार कराना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. आन्तरिक विकास कार्यो की बैंक गारण्टी देय होगी अथवा इतनी धनराशि के समतुल्य भूखण्डो को प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखना होगा जो कि विशिष्टयों के अनुरूप कार्य करनें पर ही समानुपातिक रूप से अवमुक्त किये जायेगें एवं ले–आउट प्लान की वैद्यता कम से कम पॉच वर्ष है।

5. कालोनी का आन्तरिक विकास कार्य एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना होगा तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण के साथ एक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा। कालान्तर मे नगर पालिका परिषद को हस्तानान्तरित किये जाने तक कालोनी के समस्त अनुरक्षण कार्यो की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. निर्धारित मानको के अनुसार मार्गो के किनारे एवं पार्को में वृक्षारोपण कराना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. तलपट मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्डो पर निर्माण करनें के लिए निर्माणकर्ता/भूखण्ड धारक को मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
8. आवेदकगण द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने एवं सड़को के निर्माण होने की दशा मे आवंटियों को विक्रय विलेख निष्पादित किया जा सकेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक को स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिग का प्राविधान स्वीकृति के एक वर्ष भीतर करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. ट्रंक सीवर की व्यवस्था पूर्ण होने तक सेप्टिक टैंक/सोकपिट का निर्माण कर सीवरेज डिस्पोजल की व्यवस्था करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आप द्वारा समस्त भूखण्डो पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. स्थल पर जिन भूखण्डो पर निर्माण कर लिया गया है आवेदक को शमन कराना होगा।

14/XII/2011

सहायक अभियन्ता
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़।